



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-2386/UP/25/2023-ESDW -RU-IV

दिनांक : 18.03.2025

सेवा मे,

श्री प्रवीण कुमार लक्षकार,
जिलाधिकारी,
जिला-बलिया,
डीएम कैम्प कार्यालय,
सिविल लाईंस,
बलिया, उत्तर प्रदेश 277001
ई-मेल : dmbal@nic.in

विषय: भारत सरकार के प्रफोर्मा पर अनुसूचित जन-जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में श्री अरविन्द कुमार गोंड पुत्र श्री नन्द जी, बी-13/9, सैक्टर-71, नोएडा, उत्तर प्रदेश से दिनांक 06.09.2023 का अभ्यावेदन।


संदर्भ: जिलाधिकारी, जिला - बलिया पत्रांक सं 191/न्याय सहा0 दिनांक 21.08.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **28.03.2025 को 05:00 PM** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री अरविन्द कुमार गोंड,
बी-13/9, जनता फ्लैट्स, सैक्टर-71,
नोएडा-201307 (A copy of report dated 17.02.2025 is enclosed for your information)
Ph. No. 8851202063

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading